

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र,
14, सी.एस.पी. सिंह मार्ग, प्रयागराज
फोन नं0 0532-2421855

e-mail: nczcc@rediffmail.com website: www.nczcc.in

निविदा सूचना

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आवश्यक सामान्य एवं सजावटी विद्युत फिटिंग का कार्य (किराये पर) केन्द्र परिसर के अन्दर एवं शहर के अन्य हिस्सों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों हेतु आपूर्ति किये जाने अथवा लगाने हेतु अनुभवी पंजीकृत फर्मों से मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र केन्द्र कार्यालय के लेखा अनुभाग से रु. 500/- प्रत्येक नगद अथवा डी.डी. (जो निदेशक, उ.म.क्षे.सां.के., प्रयागराज के पक्ष में देय हो) निविदा शुल्क जमा करने पर दिनांक 01.01.2025 से 07.01.2025 तक पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे के मध्य किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र की वेबसाइट www.nczcc.in से भी डाउनलोड की जा सकती है। निविदा शुल्क रु. 500/- जमा करना अनिवार्य होगा। डाउनलोड किये हुये निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क जमा करना आवश्यक होगा। निविदा दिनांक 08.01.2025 को अपराह्न 12:00 बजे तक केन्द्र कार्यालय में रखे हुये ड्राप बॉक्स में जमा करना होगा। प्राप्त सभी निविदायें अपरान्ह 03:00 बजे 08.01.2025 को केन्द्र की समिति एवं उपस्थित निविदा दाताओं/ उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की अवधि	निविदा फार्म बिक्री की अन्तिम तिथि एवं समय	निविदा अपलोड करने की तिथि एवं समय	निविदा खोलने का समय
1.	सामान्य एवं सजावटी विद्युत फिटिंग कार्य (किराये पर)	कार्य आवंटन की तिथि से एक वर्ष तक	निविदा आमंत्रण की तारीख से 07.01.2025 को अपराह्न 03:00 बजे तक	08.01.2025 को अपराह्न 12:00 बजे	08.01.2025 को अपराह्न 03:00 बजे

निदेशक

निविदा की शर्तें

1. दरें प्रत्येक मद, प्रति संख्या, प्रति इकाई आर.एफ.टी., एस.एफ.टी. 15 दिन के लिए देनी होंगी। निविदादाता के द्वारा दरें व इकाई आइटम के समक्ष स्पष्ट रूप से अंकित करनी होंगी। निविदा दाता के द्वारा दी गयी दरें टैक्स सहित (inclusive of all taxes) होंगी।
2. निविदादाता की कोई भी शर्त अलग से केन्द्र को मान्य नहीं होगी।
3. निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र को स्वीकृत दरों पर कार्य को दो या दो से अधिक ठेकेदारों के बीच बांटने का अधिकार होगा।
4. फर्म के द्वारा जिन कार्यों के लिए निविदा भरी जा रही है, फर्म को उस क्षेत्र में कार्य का विगत तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र तथा संस्थानों द्वारा पिछले तीन वर्षों में दिये गये कार्यादेशों की प्रति संलग्न करनी होगी।
5. निविदादाता को राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित विद्युत सुरक्षा के नियमों का पूर्णतः पालन करना होगा। साथ ही तार एवं केबल के सभी जोड़ों को टेप करना होगा और मेन स्विच, चेंज ओवर स्विच तथा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कनेक्शन बस बार के माध्यम से जोड़े जाने होंगे।
6. सामानों के कार्य स्थल तक ले आने, ले जाने, एवं निदेशित स्थान पर लगाने का व्यय, सामानों के बदलने एवं पुनः लगाने का व्यय दरों में ही सम्मिलित होगा।
7. केन्द्र द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में विद्युत फिटिंग लगाने एवं वायरिंग करने का पर्याप्त समय ठेकेदार को दिया जायेगा तथा ठेकेदार के द्वारा विद्युत सुरक्षा (राज्य सरकार) का प्रमाण-पत्र एवं उत्तर प्रदेश पुलिस, अग्निशमन सेवा से सम्बन्धी उपकरण व प्रमाण-पत्र प्राप्त करके केन्द्र में कार्यक्रम से पूर्व जमा करना होगा। इसके लिए केन्द्र द्वारा किसी अतिरिक्त धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. जनरेटर प्रयोग की दशा में ठेकेदार के द्वारा जनरेटर पर एक आपरेटर अलग से सम्पूर्ण अवधि के लिए नियुक्त करना है तथा जनरेटर का प्रयोग मेन स्विच एवं चेंज ओवर स्विच के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। मेन स्विच एवं चेंज ओवर स्विच तथा प्रयुक्त थ्री फेस केबिल के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। थ्री फेस विद्युत सोर्स पर जिन कट आउट का प्रयोग ठेकेदार द्वारा किया जायेगा, उनकी क्षमता आपूर्ति किये जाने वाले विद्युत लोड के अनुसार होनी चाहिए।
9. सामानों की आपूर्ति केन्द्र परिसर एवं प्रयागराज नगर परिक्षेत्र में की जायेगी। दी गयी दरों में सामानों की आपूर्ति/लगाने का व्यय भी सम्मिलित होगा।

10. सामानों की आपूर्ति में Act of God जैसे दंगा, अग्निकाण्ड, वर्षा आदि से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति भी शामिल नहीं होगी। कार्यस्थल पर किन्हीं कारणों से यदि कार्यक्रम पहले समाप्त हो जाता है तो वास्तविक उपयोग अवधि का भुगतान किया जायेगा।
11. आपूर्ति किये जाने वाले सामानों की मात्रा आवश्यकता के अनुसार कम या अधिक हो सकती है। ठेकेदार को केन्द्र की आवश्यकतानुसार सामानों की आपूर्ति कार्य स्थल पर करनी होगी।
12. कार्यक्रमों के दौरान वर्ष भर में जिन सामानों की आवश्यकता हो सकती है उनकी दरें आमंत्रित कर ली गयी हैं, परन्तु ठेकेदार को सामानों की आपूर्ति केन्द्र की आवश्यकतानुसार करनी होगी।
13. निर्धारित समय पर ठेकेदार द्वारा सामानों की आपूर्ति न किये जाने पर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में निदेशक का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
14. कार्य स्थल पर उपयोग किये जाने वाले सामानों की रख-रखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी। टूट-फूट के लिये या उपयोग के दौरान किसी सामान के खराब होने के कारण किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति केन्द्र द्वारा देय नहीं होगी।
15. कार्य स्थल पर ठेकेदार द्वारा जिन सामानों (विद्युत फिटिंग) की आपूर्ति की जायेगी, उनके संतोषजनक एवं आकार गुणवत्ता ठीक न होने पर बदलने का दायित्व ठेकेदार का स्वयं का होगा। इसमें किसी प्रकार के नुकसान होने पर ठेकेदार जिम्मेदार होगा। आपूर्तित सामानों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में निदेशक या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
16. आपूर्ति की गयी सभी उपकरण उपयोग करने योग्य, सभी जोड़ के साथ लगे होने चाहिए। गुणवत्ता संतोषजनक न होने पर ठेकेदार के अन्तिम भुगतान से कटौती कर ली जायेगी। विद्युत सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
17. सामान्यतया उपकरण की आपूर्ति के लिए ठेकेदार को पर्याप्त समय दिया जायेगा। परन्तु आकस्मिक मांग होने पर सामानों की आपूर्ति तदानुसार करनी होगी।
18. सम्पूर्ण कार्य उपकरण की आपूर्ति एवं लगाने का कार्य कार्यक्रम शुरू होने के एक दिन पूर्व अधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार पूर्ण करनी होगी।
19. किए गये कार्य का स्तर सुरक्षा और गुणवत्ता की दृष्टि से संतोषजनक न पाये जाने पर इसकी आपूर्ति का प्रबन्ध अन्य एजेन्सी से किया जायेगा एवं इसके लिये किराये पर होने वाले व्यय के अतिरिक्त 15 प्रतिशत धनराशि दण्ड स्वरूप ठेकेदार

से वसूल की जायेगी तथा उसकी जमानत राशि जब्त करते हुये अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा।

20. यदि किसी समय पर यह पाया जाता है कि भुगतान अधिक हो गया है तो ठेकेदार की जमानत राशि/लम्बित भुगतान से इसकी वसूल कर ली जायेगी।
21. निविदादाता को स्पष्ट रूप से अपनी दरों को शब्दों एवं अंकों में इंगित करना होगा यदि शब्दों एवं अंकों में अन्तर पाया जाता है तो दोनों में जो कम होगा उसी को सही माना जायेगा। जिस सामग्री की दर नहीं अंकित की गयी उसके आगे निरंक लिख दिया जायेगा।
22. कोई भी निविदा बिना ₹0 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) की धरोहर राशि (Earnest Money Deposit/Bid Security) के स्वीकार नहीं की जायेगी। उक्त धनराशि निदेशक, उ.म.क्षे.सां.केन्द्र के पक्ष में डी.डी. अथवा नगद जमा करनी होगी तथा डी.डी. या रसीद निविदा के साथ जमा करना होगा।
23. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जायेगी उसे तीन दिनों के भीतर रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) की जमानत राशि निदेशक, उ.म.क्षे.सां.केन्द्र के पक्ष में ऑनलाइन अथवा डीडी के रूप में जमा करनी होगी अन्यथा धरोहर राशि (Earnest Money Deposit/Bid Security) जब्त कर ली जायेगी।
24. स्वीकार की गयी निविदा की दरें निविदा आवंटन की तिथि से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगी।
25. निदेशक, उ.म.क्षे.सां.केन्द्र को यह विशेषाधिकार होगा कि वह बिना किसी कारण बताये किसी एक निविदा को या सभी निविदाओं को निरस्त कर दें अथवा केन्द्र के हित में किसी एक निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप में स्वीकार कर लें। इस सम्बन्ध में निदेशक का निर्णय अन्तिम एवं सभी का मान्य होगा।
26. कार्य स्थल पर कार्य की भाग का माप-जोख (भौतिक सत्यापन) केन्द्र के अधिकारी द्वारा पूर्ण किये जाने तक ठेकेदार निर्माण कार्य न तो हटायेगा और न ही उसमें परिवर्तन करेगा।
27. उ.म.क्षे.सां. केन्द्र ठेकेदार की किसी भी प्रकार का परमिट/लाइसेंस दिलाने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
28. उ.म.क्षे.सां. केन्द्र किसी भी प्रकार का ट्रक, वैगन, लारी आदि के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ठेकेदार को सामानों की आपूर्ति हेतु स्वयं परिवहन की व्यवस्था करनी होगी, यदि कोई कर देय है तो वह ठेकेदार द्वारा ही देय होगा।

29. स्रोत पर कर-कटौती लागू नियमों के अनुसार भुगतान के समय केन्द्र द्वारा की जायेगी।
30. निविदादाता निविदा प्रपत्र के साथ अपनी फर्म का पैन, जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र भी संलग्न कर अपलोड करें अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।
31. यदि किसी निविदादाता की अग्रिम धनराशि/जमानत राशि किसी अन्य टेन्डर के विरुद्ध केन्द्र में जमा है तो उस राशि का प्रयोग इस निविदा के माध्यम से नहीं किया जा सकेगा।
32. नियम, शर्त एवं दरों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। ऐसा न पाये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकती है। इस हस्ताक्षर का मतलब है कि निविदादाकर्ता ने सारे नियम/शर्तें पढ़कर समझ ली हैं और वह उनसे पूर्णतया: सहमत हैं।
33. निविदादाता के द्वारा दरों पर लगने वाला टैक्स का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना होगा। स्पष्ट उल्लेख न होने की दशा में केन्द्र द्वारा यह मान लिया जायेगा कि दरों में सभी प्रकार के टैक्स शामिल है।
34. निविदा दाता का प्रयागराज क्षेत्र में ऑफिस/सब-ऑफिस होना अनिवार्य है। ऑफिस/सब-ऑफिस का पूर्ण पता फोन नम्बर सहित निविदा के साथ देना होगा तथा ऑफिस/सब-ऑफिस का एड्रेस प्रूफ भी देना होगा। जैसे- रेंट एग्रीमेन्ट की कॉपी, इत्यादि।
35. निविदादाता का कम से कम Turnover consistently विगत तीन वर्षों में रु. 10,00,000.00 (प्रत्येक वर्ष में) का होना अनिवार्य है, जिसके साक्ष्य हेतु CA द्वारा प्रमाणित Turnover Certificate भी निविदा के साथ जमा करना होगा।
36. किसी भी विवाद की स्थिति में उसका निपटारा प्रयागराज की स्थानीय न्यायाधिकार वाली अदालतों में किया जायेगा।
37. सभी निविदा दस्तावेजों में मूल्यांकन कुल मदों के समग्र उद्धृत मूल्य (overall quoted price of all items taken together) के आधार पर किया जायेगा।

घोषणा

मैं/हम.....पुत्र श्री

फर्म.....पतायह

घोषणा करते हैं कि उपरोक्त सभी नियम एवं शर्त पढ और समझ ली है।

मैं/हम.....पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

फर्म का नाम व पता

मो०नं०-

पिन नं०-

पैन कार्ड नं०-

जी.एस.टी. नं०-